<u>न्यायालयः— अमूल मण्डलोई न्यायिक मजिस्टै्ट प्रथम श्रैणी अंजड़,</u> <u>जिला बड़वानी</u> (म०प्र०)

फौज0प्र0क. 97 / 18

 म.प्र. राज्य द्वारा आबकारी केन्द्र अंजड़ जिला–बडवानी म.प्र.

----अभियोजन

विरूद्ध

1. दिनु पिता मोहन बामनिया, उम्र 30 वर्ष, निवासी अंजड़ जिला बडवानी

----अभियुक्त

निर्णय (आज दिनांक 25/04/2018 को घोषित किया गया)

- 01. अभियुक्त दिनु पर धारा 34 (1) (क) मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 के तहत यह आरोप है कि उसने दिनांक 31.01.2018 को शाम 07:20 बजे के लगभग उसके ग्राम बामनिया स्थित मकान में 9 लीटर हाथ भट्टी की मदिरा अपने आधिपत्य में रखी, जिसका उसके पास कोई लाइसेंस नहीं था।
- **02.** प्रकरण में विशेष उल्लेखनीय तथ्य यह है कि अभियुक्त दिनु ने अभियोजित अपराध को स्वेच्छापूर्वक बिना किसी दबाव में स्वीकार किया है।
- 03. अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 31.01. 18 को थाना आबकारी के उपनिरीक्षक पाटीदार को गश्त के दौरान मुखबीर से सूचना मिली कि ग्राम बामनिया अंजड में दिनु पिता मोहन बामनिया के मकान पर अवैध शराब रखी हुई है। उक्त सूचना पर विश्वास करते हुए वह ग्राम बामनिया अंजड़ मे दिनु पिता मोहन के मकान पर पहुंचा जहा तलाशी लिये जाने पर 9 लीटर हाथ भट्टी की मदिरा होना पाई गई तथा मौके पर मदिरा की जॉच की गई। दिनु पिता मोहन से शराब का लाईसेंस पूछे जाने पर लाईसेंस नहीं होना बताया। उसका उक्त कृत्य धारा 34 आबकारी अधिनियम का होने से उससे 9 लीटर हाथ भट्टी की मदिरा जप्त कर उसे गिरफ्तार किया गया। थाना वापस आकर अभियुक्त दिनु के विरुद्ध थाने का अपराध क 991/18 अंतर्गत धारा 34 आबकारी अधिनियम के तहत पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान साक्षीगण के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किया गया। एवं सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
- **04.** अभियुक्त दिनु ने इस निर्णय की कंडिका 1 में वर्णित सभी आरोपो को स्वेच्छापूर्वक बिना किसी दबाव में स्वीकार किया गया।

क्या अभियुक्त दिनु पिता मोहन बामनिया ने दिनांक 31.01. 2018 को शाम 07:20 बजे के लगभग उसके ग्राम बामनिया स्थित मकान में 9 लीटर हाथ भट्टी की मदिरा अपने आधिपत्य में रखी, जिसका उसके पास कोई लाइसेंस नहीं था?

सकारण निष्कर्ष

- 6— अभियोजन की और से प्रस्तुत अभियोग पत्र एवं संलग्न दस्तावेजों के असल होने को अभियुक्त ने स्वीकार किया है तथा यह व्यक्त किया है कि उसने उक्त अपराध किया है। अभियोग पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से तथा अभियुक्त द्वारा की गयी स्वीकारोक्ति के आधार पर अभियुक्त के द्वारा धारा 34—1—क म.प्र. आबकारी अधिनियम का अपराध करना प्रमाणित पाये जाने से उसे धारा 34—1—क म.प्र. आबकारी अधिनियम के आरोप में दोषसिद्ध किया जाता है।
- 7— दण्ड के प्रश्न पर विचार किया गया, अभियोजन की और से प्रस्तुत अभियोग पत्र के अवलोकन से अभियुक्त की पूर्व की कोई दोषसिद्धि होना अभिलेख पर नहीं है। अभियुक्त का यह प्रथम अपराध होना प्रकट होता है। उक्त स्थिति में अभियुक्त को 34—1—क म.प्र. आबकारी अधिनियम के अपराध में न्यायालय उठने तक की सजा एवं 1,000/— रूपये के अर्थदण्ड से दिण्डत किया जाता है तथा अर्थदण्ड की राशि अदा न करने के व्यतिकृम में अभियुक्त को 1 माह के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगताई जाने का आदेश दिया जाता है।
- 08. प्रकरण में जप्तशुदा 9 लीटर हाथ भट्टी की मदिरा अपील अवधि पश्चात अपील ना होने की दशा में नष्ट की जावे। अपील होने की दशा मे सम्पत्ति का निराकरण अपील न्यायालय के आदेशानुसार किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया दिनांकित कर घोषित किया गया

(अमूल मण्डलोई) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अंजड, जिला बडवानी (म.प्र.) (अमूल मण्डलोई) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अंजड, जिला बडवानी (म.प्र.)